न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.ओ.) गडरारोड़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सुरेश कुमार प्रथम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 13/2026

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
कमलादेवी पुत्री गुणेश दान पत्नी देवीदान जाति चारण निवासी करणी नगर हाल निवासी दुदाबेरी जिला बाडमेर		1. गुणेश दान पुत्र नाथूदान 2. केवलदान पुत्र गुणेशदान 3. नवंरगदान पुत्र गुणेशदान 4. सुमेरदान पुत्र गुणेशदान 5. लीलादेवी पत्नी उगमदान 6. सुगनदेवी पत्नी देवीदान 7. पुष्पादेवी पत्नी चनण दान निवासी करनी नगर तहसील–गडरारोड, जिला–बाड़मेर 8. शाखा प्रबंधक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैकं लिमिटेड शाखा तहसील–गडरारोड, जिला–बाड़मेर 9. तहसीलदार गड़रारोड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. श्री भोपालसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण

2. श्री बृजमोहनसिह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 07

निर्णय

दिनांक :- 17/02/2026

सक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 की पुश्तैनी सम्पत्ति की संयुक्त हक एवं कब्जाकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 320/192 रकबा 12.9499 हैक्टेयर मौजा –करणी नगर , पटवार मण्डल –झणकली , भू.अ.नि.क्षे. –हरसाणी, तहसील – गडरारोड़ में अवस्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 मुतवफी वनेदान के वारिस है। प्रतिवादी संख्या 01 गुणेशदान पुत्र नाथुदान की संतान है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 जाति से चारण होने से हिन्दू विधि से शासित होते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत किसी मृत निर्वसीयती की विरासत का अन्तरण उसके वारिसान में उसी विधि से होगा जिसके वह मृत्यु के समय अध्यधीन था। चूंकि वनेदान हिंदु विधि से शासित होते थे और हिंदु विधि के अनुसार विरासत में पिता को प्राप्त सम्पत्ति में उसके पुत्र–पुत्रियों का जन्मतः हक होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ वादी का उसके साथ बहिस्सा बराबर हक है। वादी ने वादग्रस्त भूमि में स्वयं को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने जवाब प्रस्तुत कर वाद के समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 05 से 07 का प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ समान हक हिस्सा होना बताया है प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा जवाब मय राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कार किया जाकर वादी के साथ–साथ प्रतिबादी संख्या 05 से 07 को हम प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ बहिस्सा बराबर का सहखातेदार घोषित किया जाता है हम प्रतिवादी संख्या 01 से 04 कोई आपति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 व 05 से 07 द्वारा अदालत में स्वयं उपस्थित होकर इकबाली जवाब व राजीनामा मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादी वकील की ओर से अपने वाद कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी EXP-1, नकल खतोनी बन्दोबस्त EXP-2 प्रस्तुत किये।

दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 जाति से चारण होने से हिन्दू विधि से शासित होते है तथा हिन्दू विधि के अनुसार दादा की सम्पत्ति में अपने पिता के साथ पुत्र–पुत्रियों की जन्मतः हक हिस्सा होता है। इसमें प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की भूमि में वादी का बहिस्सा बराबर हक बनता है। मौके पर इसी अनुसार इनका कब्जा काश्त है। अतः वादी उक्त भूमि में स्वयं को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने का अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 07 ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए माफिक राजीनामा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पेतृक होने से हिन्दु विधि अनुसार पुत्र पुत्रियो, पौत्र पौत्रियो का जन्म से हक हिस्सा होने वादी के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 05 से 07 का प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित कर दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का नाम वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। बन्दोबस्त रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 05 से 07 उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ सहखातेदारी की पात्रता रखते है। ऐसी सूरत में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 05 से 07 का नाम प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड में बहिस्सा बराबर का सहखातेदार के तौर पर दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 320/192 रकबा 12.9499 हैक्टेयर मौजा –करणी नगर ,पटवार मण्डल –झणकली , भू.अ.नि.क्षे. –हरसाणी, तहसील –गडरारोड भूमि में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 05 से 07 को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गड़रारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।

वादी वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 द्वारा पत्रावली में वादग्रस्त आराजी का विभाजन करने हेतु आपसी सहमति से सहमति विभाजन प्रस्ताव मय शपथ पत्र एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार विभाजन करने हेतु हस्ताक्षर कर सहमति विभाजन प्रस्ताव मय शपथ पत्र एवं संलग्न नक्शा पेश किया गया है। इसी अनुसार उभयपक्ष विभाजन करवाने हेतु सहमत होने से उभयपक्ष का वादग्रस्त आराजी में विभाजन किया जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर गड़रारोड

Scanned with OKEN Scanner

हमने वादी वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गौरतापूर्वक अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्रावली में प्रस्तुत सहमति विभाजन प्रस्ताव मय शपथ पत्र एवं संलग्न नक्शा अनुसार बादी का बाद स्वीकार किये जाने में इस न्यायालय को कोई आपति प्रतित नहीं होती हैं लिहाजा बादी का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 320/192 रकबा 12.9499 हैक्टेयर मौजा –करणी नगर ,पटवार मण्डल –झणकली , भू.अ.नि.क्षे. –हरसाणी, तहसील गडरारोड का संलग्न सहमति विभाजन प्रस्ताव मय शपथ पत्र एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का हिस्सा पृथक कर तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 05 से 07 को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ बहिस्सा बराबर का सहखातेदार घोषित करते हुए आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव अनुसार रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करने के आदेश तहसीलदार गडरारोड दिये जाते हैं। सहमति विभाजन प्रस्ताव मय शपथ पत्र एवं संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर गडरारोड, जिला बाड़मेर

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर
गडरारोड़

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया व मुहर अदालत के जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
गडरारोड

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner